



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 20-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 18, 2021 (VAISAKHA 28, 1943 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग
(भवन एवं मार्ग शाखा हिसार वृत्त)

अधिसूचना

दिनांक 27 अप्रैल, 2021

संख्या 2419.— चूंकी, हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि निम्नलिखित भूमि के सन्दर्भ में, जिसके लिए भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) की अधिसूचना हरियाणा सरकार के गजट में अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को जारी की गई है, के अनुरूप गाँव ढाणी जाटान तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा में पक्का रोड नामतः सिरसा से ऐलनाबाद रोड के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भूमि सरकार द्वारा ली जानी अपेक्षित है।

एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित नम्बर खसरा में से भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए ली जानी अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में भूमि अधिग्रहण करने के लिए माननीय न्यायालय अतिरिक्त सेशन जज, सिरसा के फैसले दिनांक 30.04.2015 को आदेश पारित हुए हैं।

यह उद्घोषणा उन सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लिए है जो इससे सम्बन्धित हैं की जानकारी हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत की गई है। जिसके तहत भूमि तत्काल अधिग्रहण की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन भूमि अधिग्रहण कलैक्टर लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) हिसार को एतद् द्वारा उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा मार्ग), हिसार या कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं० 2, भवन एवं मार्ग शाखा, सिरसा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।

विशिष्ट

जिला	तहसील	परीक्षेत्र/गाँव हदबस्त नं०	क्षेत्रफल एकड़ में	मुस्तली नं० व किला नं०	क्षेत्रफल कनाल—मरला
सिरसा	ऐलनाबाद	ढाणी जाटान/ नं० 117	0.1187	3 / 18 / 1 / 2 मिन	0-19 (0.1187 एकड़)

(हस्ता०)...,
अधीक्षक अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
(भवन एवं मार्ग शाखा) हिसार वृत्त,
हिसार।

HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORK DEPARTMENT
(BUILDING AND ROADS BRANCH) HISAR CIRCLE

Notification

The 27th April, 2021

No. 2419.— The Governor of Haryana is pleased that in reference to the following land, for which proper Compensation and Transparency Rights Act 2013 in the Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 notification of Section 11(1) in the Gazette of the Government of Haryana Published on dated 29 December, 2020, the land is required to be taken by the government for public purpose namely Sirsa to Ellenabad road in Village Dhani Jattan Tehsil Ellenabad District Sirsa.

This is hereby declared that out of the following khasra numbers, land is required to be taken for the above purpose. In this context, the order of the Hon'ble Court Additional, Session Judge, Sirsa has been passed on 30.04.2015 to acquire the land.

This declaration is for all those persons who are related to it, for the purpose of land acquisition rehabilitation and resettlement has been made under the provisions of Section 19 of the Fair Compensation and Transparency Right Act 2013 under which land is required to be acquired immediately.

Under the provisions of the above Act, Land Acquisition Collector Public Works Department (Building and Road) Hisar is hereby ordered to acquire the above land. Inspection of maps of the land, can be done on any working day in the officer of Land Acquisition Collector, PWD B&R, Hisar or Executive Engineer, Provincial Division No. II, PWD B&R Br., Sirsa.

SPECIFICATION

Distt.	Tehsil	Locality/Village & H.B. No.	Area in Acres	Rectangle No./Kila No.	Area in Kanal-Marla
Sirsa	Ellenabad	Dhani Jattan/ No. 117	0.1187	3//18/1/2 Min	0-19
				Total	0-19 (0.1187 Acre)

(Sd.)...,
Superintending Engineer,
Hisar Circle PWD B&R Branch,
Hisar.